राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	मधु शर्मा बनाम नानगा हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/05/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित	अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी	संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 3 के पूर्वजो ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 11/10/2011 पारित करते हुये तहसीलदार चाकसू को विवादित भूमि खसरा नम्बर 352, 355, 356, 358, 360, 361, 528, 529, 534, 559, 560, 617, 640, 642, 646, 648, 649, 650, 661, 351, 354, 357, 661, 645 किता 25 रकबा 3.65 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 3966, 3969, 3971, 3972 किता 4 रकबा 0.35 हैक्टेयर वाके ग्राम चन्दलाई, तहसील चाकसू का बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर तकासमा किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये	जिसकी पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 31/05/2017 पारित करते हुये वाद डिक्री कर दिया गया	जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी है	अधिवक्ता उभयपक्ष ने उपस्थित होकर अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री को निरस्त किये जाने का निवेदन करते हुये अपने-अपने कथन बहस में अंकित करवाये गये | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं उसके परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया	दौराने बहस उभयपक्षों ने सहमति से यह तथ्य जाहिर किया है कि पुराने रिकार्ड के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व खातेदारों को समाहित करते हुये अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित कर दी है जबकि पूर्व में ही विवादग्रस्त भूमि का बैचान होकर नवीन क्रेतागण कब्जे काश्त व खातेदारी में भूमि आ गयी थी एवं विवादग्रस्त भूमि का तत्पश्चात भी निरन्तर बैचान होकर नवीन क्रेतागण इस भूमि के हक़धारी हो गये है, जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी आवेदन किया गया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उस पर कोई उचित संज्ञान नही लिया गया है, ऐसेमें अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री से उसके वर्तमान खातेदार/हक़धार प्रभावित हो रहे है	अत: अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाई जावे	चूँकि उभयपक्षों द्वारा सहमति जाहिर कर अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री को निरस्त करवाने की ईस्तदुआ की गयी है	ऐसेमें प्रकरण का गुणावगुण पर परिक्षण किये बगैर मात्र उभयपक्षों की सहमति के		

राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	मधु शर्मा बनाम नानगा हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आधार पर अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जाना न्यायोचित्त समझा जाता है ताकि पक्षकारान के मध्य विवाद की समाप्ति हो सके |

अत: उभयपक्षों द्वारा दौराने बहस जाहिर की गयी सहमति के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 31/05/2017 निरस्त की जाती है | तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 20/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी